फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **ठाकुर जी स्थान जरिये श्यामदास** विपक्षी :– **बंशीदास वैरागी**

किस्म मुकदमा :– **विविध आ.9नि.9 जा.दी.** पत्रावली संख्या :– **261/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/762**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.12.2025

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सम्पत सामोता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया । बहस अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पर सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 158/15 वाद पत्र उनवान ठाकुर जी स्थान जरिये श्यामदास बनाम बंशीदास का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 15.12.2025 को अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं स्वयं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वाद वादी एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण साक्ष्यवादी की स्टेज पर था। मुल प्रकरण एक दिन पूर्व ही खारिज हुआ है। हम अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। इस कारण से मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। न्यायालय का मानना है कि प्रकरण में प्रतिवादी का भी काउण्टर वाद भी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया था। चुंकि अब प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तो प्रतिवादी के भी हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़े इस हेतु प्रतिवादी का भी काउण्टर वाद नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 158/15 वाद पत्र उनवान ठाकुर जी स्थान जरिये श्यामदास बनाम बंशीदास में पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद एवं काउण्टर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह भी आदेश दिए जाते है कि इस प्रकरण के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति का आदेश दिया गया है जो यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली